2021/1621

आदेश पत्रक

(नियम 13)

(General (Civil), Rule 103, Appendix 'B', Form No. 9)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी झुन्झुनूं (राज.)

बनाम

मनीराम बनाम तहसीलदार

रस्म मुकदमा रेवेन्यू 136 नम्बर 169 सन् 2021

आदेश	कार्यवाही विवरण	अनुपालना के क्रमांक व दिनांक
7/12/21	प्रार्थना–पत्र प्रार्थी जरिये वकील पेश किया गया प्रार्थना–पत्र दर्ज रजीस्ट्रर हो। अप्रार्थी की तामील जरिये रजीस्ट्री – ऐडी से करवायी जावें वकील प्रार्थी रजीस्ट्री – ऐडी की रसीद नियत तारीख पेशी तक पेश करें तहसीलदार उदयपुरवाटी को जांच हेतू तेहरीर जारी हो पत्रावली वास्ते इन्तजार तलवी दिनांक 15/1/2022 को पेश हों [signature] उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी (झुंझुनूं)	
10/1/22	पत्रावली पेश हुई पीठासीन अधिकारी महोदय .... पर हैं। अतः पत्रावली वास्ते अग्रिम कार्यवाही दिनांक 11/1/22 को पेश हो।	
11.1.22	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी व अप्रार्थी उपस्थित। अप्रार्थी ने उपस्थित होकर निवेदन किया कि ग्राम गढला कलां के भूमि खाता सं. 160 व 161 में मनाराम पुत्र सहीराम की जगह मनीराम पुत्र सहीराम शुद्ध किया जाना उचित है। इसमें अप्रार्थी को कोई आपत्ति नहीं है। बहस प्रारंभ इन पर श्रवण की गई। पत्रावली एवं पत्रावली पर मौजूद दस्तावेजात का अवलोकन किया गया एवं बहस पर मनन करने के पश्चात ... कि प्रार्थी का सही नाम मनीराम पुत्र सहीराम है ... विवेचन के प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत ... किया जाना उचित एवं न्यायोचित प्रतीत होता है। **निर्णय** प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अ. धारा 136 LR Act स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम गढला कलां पटवार हल्का गढला कलां तहसील उदयपुरवाटी की जमाबंदी में [signature]	तहसीलदार प्रार्थी का नाम संशोधन ग्राम गढला कलां के भूमि खाता सं. 160 व 161 में मनाराम पुत्र सहीराम की जगह मनीराम पुत्र सहीराम किया जाना उचित है। इसमें अप्रार्थी को कोई आपत्ति नहीं है। [signature] 11/1/2022

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2023.01.19 14:04:44 IST
Reason: SelfAttested

आदेश	कार्यवाही विवरण	अनुपालन क्रमांक
	स्थित भूमि खाता सं० 160 व 161 के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम मनाराम पुत्र सहीराम की जगह मनीराम पुत्र सहीराम गुर्जर दुरुस्त। शुद्ध किये जाने का आदेश दिया जाता है। तदनुसार तहसीलदार गुढा गौडजी राजस्व रिकार्ड में नाम दुरुस्त करे। उक्त खसरा नम्बरान के शेष इन्द्राज बदस्तूर रहेंगे। निर्णय आज दिनांक 11.1.22 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा दाखिल दफ्तर हो। [signature] 11.1.22	

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2023.01.19 14:04:44 IST
Reason: SelfAttested